भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2215

उत्तर देने की तारीख: 11.03.2026

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातीय समुदायों (डीएनटी) को संवैधानिक मान्यता

2215 श्री संदोष कुमार पी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातीय समुदायों को वर्तमान के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों से अलग विधिक और संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस मान्यता हेतु प्रस्तावित तंत्र का ब्यौरा क्या है और आवश्यक वैधानिक अथवा संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत करने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव अथवा योजना विचाराधीन नहीं है।
